फर्द अहकाम

कार्यालय सहायक कलक्टर(SDO) मावली, उदयपुर

प्रार्थी :– श्री देवीलाल **विपक्षी :– राजस्थान राज्य**

किस्म मुकदमा – 88 रा.का.अधि. **पत्रावली संख्या : 52/22**

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई

दिनांक : 14.05.2022

पत्रावली राष्ट्रीय लोक अदालत कैम्प में हुई। अधिवक्ता मय वादीगण उपस्थित। राजपेरोकार तहसीलदार मावली द्वारा बिन्दुवार रिपोर्ट पेश कर पृथक से जवाब नहीं देना चाहा। रिपोर्ट को ही जवाब माना जाकर वाद को स्वीकार किया जाने पर कोई आपत्ति जाहिर नहीं की। उभय पक्षकारान की बहस सुनी गई।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। तहसीलदार मावली से प्राप्त रिपोर्ट का अध्ययन किया। प्रकरण में आराजी नम्बर 2138/12 रकबा 0.3237 हैक्टेयर भूमि वादीगण के नाम दर्ज हैं। वादीगण के कथनानुसार आवंटन के वक्त उक्त आराजीयात का कब्जा आराजी नम्बर 2294/11 व 2299/11 के पास ही सिपूर्द की गई, तभी से मौके पर काबिज होकर वादीगण उपयोग उपभोग कर रहे हैं। तहसीलदार मावली द्वारा भी अपनी रिपोर्ट में आराजी नम्बर 12 में मूल आवंटन रामा पिता अनोपा मेघवाल को उपखण्ड अधिकारी वल्लभनगर द्वारा किया गया, जिसका नामान्तरकरण संख्या 181 से राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किया गया, जिससे नवीन खसरा संख्या 2138/12 बना। मूल आवंटी रामा की मृत्यु के पश्चात् विरासत से उसकी पत्नी दलु बाई के नाम दर्ज हुई, जो बाद में विक्रय पत्रों के माध्यम से वादीगण के नाम हिस्सेनुसार दर्ज हैं।

तहसीलदार मावली की रिपोर्ट अनुसार आराजी नम्बर 2152/11 के पूर्व दिशा में मूल आवंटी का कब्जा चला आ रहा हैं, जबकि राजस्व नक्शें में मूल खसरा नम्बर 12 में 2138/12 दर्ज हैं। आराजी नम्बर 12 में खातेदार का किसी प्रकार से कोई कब्जा काश्त नहीं होना बताया हैं। खातेदार द्वारा मौके पर आराजी नम्बर 2152/11 के पूर्व दिशा में मेड बन्दी बना रखी हैं। तहसीलदार मावली द्वारा कब्जे के आधार पर तरमीम किये जाने पर सहमति व्यक्त कर लाल स्याही से नक्शा प्रस्तावित कर पेश किया हैं। प्रकरण एवं रिपोर्ट के अवलोकन से वादीगण का कब्जा मूल आराजी नम्बर 11 में खसरा संख्या 2152/11 के पूर्व दिशा में चला आ रहा हैं जबकि मूल आवंटन खसरा संख्या 12 में आराजी नम्बर 2138/12 किया जाकर नक्शें की तरमीम खसरा सख्या 12 में दर्शा रखी हैं। चूंकि मूल आंवटी एवं उसके पश्चात् वादीगणों का कब्जा आराजी नम्बर 11 पर ही हिस्सेनुसार चला आ रहा है जिसकी पुष्टि तहसीलदार मावली द्वारा अपनी रिपोर्ट में की हैं। चूंकि वादीगण का खसरा एवं तरमीम खाता संख्या 12 में होने से वादीगण को काफी असुविधाओं का सामना करना पड रहा हैं। वादीगण द्वारा कब्जे के आधार पर अपनी भूमि का विकास करवाया है, मेड बन्दी करवा रखी हैं। तहसीलदार मावली द्वारा भी आराजी नम्बर 11 में ही कब्जे के आधार पर तरमीम प्रस्तावित की हैं। अतः प्रकरण में वादीगण खसरा संख्या 11 में अपने कब्जे अनुसार तरमीम कराने के अधिकारी हैं। अतः वादीगण का मूल आवंटन के समय खसरा व वर्तमान में काबिज खसरे में भिन्नता होने से उक्त खसरों को आपस में स्थानान्तरित करते हुए तरमीम किया जाना न्यायहित में उचित हैं। उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादीगण का वाद आंशिक स्वीकार योग्य पाया जाता हैं।

–: आदेश :–

परिणामस्वरूप वादीगण का वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का आंशिक स्वीकार किया जाता है कि मौजा खाम की मादडी पटवार हल्का रख्यावल की आराजी नम्बर 11 रकबा 8.0532 में से वादीगण को हिस्सेनुसार 0.3237 हैक्टेयर भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता हैं। तहसीलदार मावली द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावित नक्शें के आधार पर राजस्व रेकार्ड में वादीगण के कब्जे अनुसार राजस्व नक्शें में तरमीम किया जाने का आदेश दिया जाता हैं। आराजी नम्बर 2138/12 को वादी सं. 1 व 2 के नाम से हटाई जाकर बिलानाम सरकार दर्ज किया जाने का आदेश दिया जाता हैं। डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो ।

निर्णय खुले ईजलास लिखा जाकर सुनाया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Shravan Singh Rathore
Date: 2022.05.17 09:45:07 IST
Reason: SelfAttested

(श्रवण सिंह राठौड)
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली

मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO) मावली, जिला–उदयपुर

पीठासीन अधिकारी : श्री श्रवण सिंह राठौड, R.A.S

उनवान

1. श्री देवीलाल पिता भगवतीलाल मेघवाल निवासी पुरानी काली मगरी भुवाणा तह. बडगांव।
2. श्रीमती केसरबाई पत्नी देवीलाल मेघवाल निवासी पुरानी काली मगरी भुवाणा तह. बडगांव।

.....वादीगण

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार मावली, तह. मावली।
2. पटवारी, पटवार हल्का रख्यावल तह. मावली।

.....प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 राज.काश्तकारी अधिनियम

मुकदमा न0 : 52/22 (वाद) GCMS No. – 2022/115

यह मुकद्धमा आज वास्ते इन्फिसाल कतई रुबरु श्रवण सिंह राठौड, R.A.S. मिनजानिब मुद्धायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि :–

वादीगण का वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का आंशिक स्वीकार किया जाता है कि मौजा खाम की मादडी पटवार हल्का रख्यावल की आराजी नम्बर 11 रकबा 8.0532 में से वादीगण को हिस्सेनुसार 0.3237 हैक्टेयर भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता हैं। तहसीलदार मावली द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावित नक्शें के आधार पर राजस्व रेकार्ड में वादीगण के कब्जे अनुसार राजस्व नक्शें में तरमीम किया जाने का आदेश दिया जाता हैं। आराजी नम्बर 2138/12 को वादी सं. 1 व 2 के नाम से हटाई जाकर बिलानाम सरकार दर्ज किया जाने का आदेश दिया जाता हैं।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख 14.05.2022 को जारी की गई।

(श्रवण सिंह राठौड)
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली

Signature Not Verified

Digitally signed by Shravan Singh Rathore
Date: 2022.05.17 09:45:07 IST
Reason: SelfAttested